UPRN04-037065-2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1, कानपुर देहात।

उपस्थितः–श्री अंकुर सिंह सोलंकी––(उ०प्र० न्यायिक सेवा)।

(J.O. Code– UP3511)

मुकदमा संख्या–21923/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–4522/2026

सरकार बनाम बृजेश कुमार आदि

मुकदमा अपराध संख्या–168/2025
धारा–115(2),324(2),351(3),352 बी०एन०एस०
थाना–रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात।

<u>20.08.2026</u>

अभियुक्तगण बृजेश यादव, राहुल यादव, रोहित यादव, अजय कुमार उर्फ भूरा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–168/2025, धारा–115(2),324(2),351(3),352 बी०एन०एस० थाना–रसूलाबाद,जिला कानपुर देहात के अपराध में जरिये अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होने का कथन किया गया है एवं जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा शिशुपाल सिंह पुत्र स्व० लालमन के साथ एक राय होकर मारपीट, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास की सजा से दण्डनीय है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण बृजेश यादव, राहुल यादव, रोहित यादव, अजय कुमार उर्फ भूरा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–168/2025, धारा–115(2),324(2),351(3),352 बी०एन०एस० थाना–रसूलाबाद,जिला कानपुर देहात के अपराध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P. and Another, Neutral Citation No.– 2025:AHC:136034** में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त को 20,000/– (बीस हजार) रूपये की एक जमानत तथा इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अंकुर सिंह सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–1,
कानपुर देहात
(J.O. Code– UP3511)